



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com



पत्र संख्या: सी-3381/बजट-5730-III/2021-22,

दिनांक 31 जनवरी, 2022

आहरण वितरण अधिकारी,
निदेशालय, बाल विकास,
उत्तराखण्ड।

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के क्रियान्वयन हेतु धनांवटन।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 2999/XVII(4)/2021-2(15)/2020, दिनांक 02-11-2021 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 94,20,000/- (रू० चौरान्चे लाख बीस हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आंवटन रू० 23,49,925/- (रू० तेईस लाख उन्चास हजार नौ सौ पच्चीस मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं-

- 1- मानक मद 08-पारिश्रमिक के अन्तर्गत योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों का पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 2- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 3- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
- 4- आवंटित धनराशि को राज्य स्तर पर खोले गये SNA खाता संख्या 1764104000045988 बैंक का नाम आई०डी०बी०आई०, देहरादून IFSC Code IBKL0001764 में हस्तांतरित करते हुए, व्यय भारत सरकार के निर्धारित मानकानुसार प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाए।
- 5- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/ नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन एवं शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मानकानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।
- 7- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- 8- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-01-26 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- योजना प्रभारी, निदेशालय।

वित्त नियंत्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Director I C D S(4166)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director ICDS(4166)

आवंटन पत्र संख्या -C-3381

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H22010150286

आवंटन पत्र दिनांक-31-JAN-2022

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02-Social Welfare

102-बाल कल्याण

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26-मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री

Voted

मातृ वन्दना योजना) (90 प्रतिशत

के0स0) (आई0सी0डी0एस0 योजना)

2	2	3	5	0	2	1	0	2	0	1	2	6
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
08-पारिश्रमिक				450000	2349925	0	2799925					
योग				450000	2349925	0	2799925					

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.23,49,925 (Rupees Twenty Three Lacs Forty Nine Thousand Nine Hundred Twenty Five Only)

Batch ID : DIS:4166:4166:2201:0262

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


वित्त नियंत्रक
महिला सशक्तिकरण एवं लक्ष्यगत विकास
उत्तराखण्ड देहरादून